

UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY

Teenpani Bypass, Behind Transport Nagar, Haldwani (Nainital) UTTARAKHAND- 263139
Phone No. : 05946-286000 Website : www.uou.ac.in

Office of the Registrar

No. UOU/Estt/2021/56/203

Dated: 11-02-2021

Dr. Digar Singh**Bhagwati Niwas Malla Gorakhpur Near Mahila****Degree college Nawabi Road Haldwani (Nainital) 263139****e-mail- digarsingh.2011@gmail.com**

विषय: सह-आचार्य, शिक्षाशास्त्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) पद पर नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

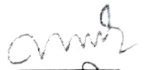
आपको विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित सह आचार्य, शिक्षाशास्त्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) (वेतनमान रु0 131400-217100 एकेडमिक लेवल-13ए) हेतु सम्पन्न साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर कार्यपरिषद की 29वीं बैठक मद संख्या-29.18 दिनांक 11.02.2021 में प्रदत्त अनुमोदन एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 11.02.2021 के क्रम में सह आचार्य (शिक्षाशास्त्र) पद पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ नियुक्ति प्रदान की जाती है-

1. आपकी नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या- (S/B) No. 511 of 2019 में पारित निर्णय के अधीन होगी।
2. आपकी नियुक्ति नितान्त अस्थाई है, जो कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक परिवीक्षाधीन होगी, जिसे परिनियम 27(2) के अन्तर्गत कार्यपरिषद द्वारा एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
3. विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश तथा समय-समय पर लागू होने वाले नियम आपकी सेवा पर भी प्रभावी होंगे।
4. आपकी सेवाएं विश्वविद्यालय के हित में विश्वविद्यालय के परिसर, क्षेत्रीय कार्यालय एवं अन्य स्थान, जहां विश्वविद्यालय उचित समझे, के लिए स्थानान्तरणीय होंगी।
5. आपके चरित्र, शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर आपकी सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
6. आपकी सेवा एक माह के नोटिस अथवा आपको एक माह का वेतन देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यही शर्त आपके द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर भी लागू होगी।
7. कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय आपके द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. कार्यभार ग्रहण करते समय आपको नोटरी द्वारा सत्यापित रु0 100/- के गैर-न्यायिक (Non-Judicial) स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप के अनुसार हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न तो पंजीकृत है और न ही किसी न्यायालय के विचाराधीन है।
10. विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए लागू आचार-संहिता व परिनियमों में वर्णित व्यवस्था आप पर लागू होगी तथा इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
11. इस पद हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
12. यह नियुक्ति नवीन पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित होगी।
13. कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय आपको सत्यापन हेतु समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति, आधार एवं पैन कार्ड की मूल एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
14. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये प्रमाण-पत्र/दस्तावेज तथा दी गयी जानकारी भविष्य में यदि असत्य पायी जाती है तो नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी।
15. आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिवसों के भीतर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा अन्यथा की दशा में यह नियुक्ति पत्र निष्प्रभावी माना जायेगा।
16. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्नक: अनुबंध का प्रारूप।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक, संबंधित विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
3. वित्त-नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
4. कार्यालय प्रति।


कुलसचिव